मुठभेड़ [illegible] अधिवक्ता [illegible] मंडावरी
22.9.21 प्रा० पत्र 212 R. T. Act.

स्थगित
12.11.21

12/11/21 पत्रावली आज क्रम कोई ग्राम पं० सलेण्ड में पेश हुई। अधिवक्ता अभि पक्ष की बहस सुनी गई। अभि पक्ष की सहमति से विवादित आराजीयात के पूर्व आदि T.1 को स्थगन आदेश दिनांक 28.6.2018 को वापस किया जाकर ता फैसला मूल वाद अभि पक्ष को पाबन्द किया जाता है। अ० क्र० नं० 329, 325, 328 वाद मौजा सलेण्ड के मौका वास्तविक स्थिति बनाये रखें। पत्रावली निर्णय हेतु डायरी दर्ज नम्बर के क्रम को।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner